विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री नरेश चन्द्र उत्तम, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
25 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मेरठ में नाबालिगों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायतों में किसी अधिवक्ता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों के नाम आये थे ?	जी हॉ । 1. एडवोकेट रमेश चन्द्र गुप्ता पुत्र किशोरी लाल गुप्ता, निवासी मोहल्ला धर्मपुरी बैकर स्ट्रीट थाना सदर बाजार मेरठ, 2. अरविन्द गुप्ता पुत्र चन्द्रभान गुप्ता, निवासी कुटिया वाली गली, नियर गीता एन्कलेव मोहल्ला न्यू देवपुरी, थाना रेलवे रोड मेरठ एवं 3. संजीव जैन गोयल उर्फ संजीव सिक्का (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त) निवासी म0न0-09 कोणार्क कालोनी रुड़की रोड, थाना पल्लवपुरम मेरठ के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आये है।
(ख)यदि हा, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?	जनपद मेरठ में थाना दौराला पर दिनांक 27.05.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा 17.5 वर्षीय बालिका को बहलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0.172/2023, अन्तर्गत धारा-363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 14. 06.2023 को अपहृता/पीड़िता को बरामद कर धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर उक्त अभियोग में दिनांक 17.06.2023 को धारा-323,328,354,354ख/376डी/ 427,504 भादवि व 5जी 6, 9सी, 10 पाक्सो अधिनियम व 67 आई0टी0 एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त एडवोकेट रमेश चन्द्र गुप्ता को साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 21.06.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनात्मक कार्यवाही द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त एडवोकेट रमेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध धारा-323,328,376डी/427,504 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट व 5जी/6 पाक्सों एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या-197/23 दिनांक 26.07.2023 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त अरविन्द गुप्ता के विरुद्ध मा0 न्यायालय से दिनांक 26.07.2023 को एनबीडब्लू प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण अरविन्द गुप्ता तथा संजीव जैन गोयल उर्फ संजीव सिक्का (राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त) के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।
(ग) यदि नही, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री